# न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

**वासगीत अपील वाद संख्या – 58/2002–03**

**अमल दास बनाम जालो देवी वगै0**

## – :: आदेश :: –

23.9.18

प्रस्तुत वासगीत पर्चा अपील अपीलार्थी अमल दास पुत्र–स्व0 मोती दास, सा0–बलिया सिमर, थाना–महिषी, जिला–सहरसा के द्वारा अंचल महिषी के वासगीत पर्चा वाद संख्या–7/2000–01 में अंचलाधिकारी, महिषी के पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। जिसमें अंचलाधिकारी द्वारा विपक्षी जालो देवी के पक्ष में वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है।

भूमि का विवरण :–

| मौजा | खाता | खेसरा | रकबा |
|---|---|---|---|
| बलिया | | | |
| 64 | 148 | 446 | 0.12 |
| | | 716 | |
| | 138 | 444 | 0.03 |
| | | 717 | |

आवेदक का कथन है कि :–

1. विपक्षी मूलतः गण्डौल के निवासी है, जहाँ उसके पास पैतृक भूमि और पर्याप्त संपत्ति है।
2. विपक्षी जालो देवी के पति द्वारा एक कट्ठा जमीन खरीदा गया जिसका खाता संख्या–446 है एवं वह उस जमीन पर उसका आवासीय मकान भी है। परन्तु वह अवैध एवं गलत तरीके से अपीलार्थी के जमीन पर दावा कर रहे है।
3. विपक्षी के पति ओर विपक्षी सं0–2 के पिता उसी मौजा में आवासीय भूमि हेतु दो कट्ठा दस धूर जमीन ग्राम–बलिया सिमर में खरीदें, जिसका खाता संख्या नया–726 एवं पुराना–455 है, जो उनके आवास के लिए पर्याप्त जमीन है। विन्देश्वरी दास, उनकी पत्नी एवं पुत्र जिसका आवास मौजा गण्डौल है और वे संयुक्त रूप से वहाँ निवास करते हैं और उनके पास सिमर गाँव में भी 12 कट्ठा जमीन है। इस प्रकार उनके पास चार एकड़ से अधिक जमीन है परन्तु उनके द्वारा गलत तरीके से अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी द्वारा सही एवं कानूनी तरीके से बिना जाँच किये दिनांक 15.02.2001/17.02.2001 को उन्हें पर्चा निर्गत कर दिया गया।
4. अपीलार्थी को पर्चा निर्गत करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु अफवाह द्वारा इस बारे में पता चला। तदुपरांत उनके द्वारा दिनांक 06.04.2002 को नकल के लिए आवेदन

23.9.18

दिया गया, उन्हें दिनांक–11.06.2002 को नकल प्राप्त हुई। पर्चा रद्द करने की समय सीमा बीत जाने कारण विलंब से उनके द्वारा याचिका दायर किया गया। अंचल अधिकारी, महिषी द्वारा वाद संख्या–07/2000–01 में दिये गये आदेश दिनांक–15.02.2001/17.02.2001 से असंतुष्ट होकर आपके न्यायालय में याचिका दायर किया तथा अंचलाधिकारी के आदेश को निम्नलिखित आधार पर रद्द करते हुए न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

- निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि विपक्षी के पास मौजा गण्डौल में आवासीय घर के अतिरिक्त अनेक जमीन मौजूद है तो वह मौजा बलिया सिमर में पर्चा के लिए हकदार कैसे हैं।
- विपक्षी के पास मौजा–बलिया सिमर में बासडीह हेतु जमीन खरीदी गई है और उन्हें कानूनी रूप से उस मौजा में अन्य खेसरा का जमीन का पर्चा निर्गत किया जाना न्यायोचित नहीं है।
- विपक्षी न तो रैयत है और न ही बासगीत पर्चा पाने का हकदार है।
- अपीलार्थी के पास एक बीघा पाँच कट्ठा जमीन है इसलिए वह रैयत होने का विशेषाधिकार रखता है।
- विपक्षी मूल रूप से मौजा–गण्डौल में रहते हैं एवं बलिया सिमर में अपना व्यवसाय करते हैं। जहाँ उसका दुकान है और वह अपने दुकान में एक लाख रूपया निवेश किये हुए हैं इसलिए वह किसी भी पर्चा के हकदार नहीं है।

**<u>प्रतिपक्षी का कथन है कि</u>** :–

विवादित जमीन मौजा–बलिया, अंचल महिषी, जिला–सहरसा अंतर्गत खाता–148, खेसरा–446/716, रकवा–0.12 डी0 एवं खाता–138, खेसरा–444/717, रकवा–0.03 डी0 का बासगीत पर्चा विपक्षी श्रीमति जालो देवी वो जवाहर दास वो हीरा दास दोनों पिता–विन्देश्वरी दास के नाम से उपरोक्त खाता खेसरा के जमीन का बासगीत पर्चा बना हुआ है।

आवेदक अमल दास के पिता–स्व0 मोती दास अपनी गरीब बेटी जालो देवी को 3.9 धुर यानि 15 डीसमल जमीन देकर अपने घर के पास बसाया जो अभी भी जालो देवी दोनों बेटा घर बनाकर शान्तिपूर्ण ढंग से रह रहा है।

जालो देवी के पिता के मरने के बाद जालो देवी का भाई अमल दास खुलेआम कहने लगा कि अब तुम इस जमीन पर से भाग जाओ और तरह–तरह से जालो देवी के दोनों बेटा हीरा दास और जवाहर दास को भगाने के लिए तरह–तरह से तंग तबाह करने लगा और उसके बासगीत पर्चा

को खारिज करने के लिए अंचलाधिकारी, महिषी को आवेदन दिया गया और श्रीमान अंचल कर्मचारी और अंचल निरीक्षक महोदय द्वारा जाँच पड़ताल कराया गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंचलाधिकारी महोदय विपक्षी जालो देवी के पक्ष में आदेश दिया और बासगीत पर्चा को बरकरार रखा। तब लाचार होकर आवेदक अमल दास श्रीमान् के न्यायालय में यह अपील दायर किया है।

विपक्षी जालो देवी के मरने के बाद उनका दोनों बेटा उक्त जमीन पर शान्ति ढंग से रह रहा है तथा बिहार सरकार का रेन्ट रसीद भी विपक्षी के नाम से कट रहा है।

अभिलेख का अवालोकन किया। तीनों आवेदकों के आवेदन पर अंचलाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक तथा अमीन द्वारा जाँच करायी गयी तथा प्रतिवेदन के आधार पर भूधारी को नोटिस किया गया। दिनांक–26.04.2001 को श्री शंभू दास द्वारा आपत्ति दी गयी कि विन्देश्वरी दास पति जालो देवी भूमिहीन नहीं है जिसकी जाँच राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से करायी गयी। प्रतिवेदन में श्री शंभू दास के पास 15.33 एकड़ जमीन होने का उल्लेख है तदनुसार अंचलाधिकारी द्वारा आवेदकों को योग्य पाते हुए विधिवत पर्चा निर्गत किया गया।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1516-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2013

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अंचलाधिकारी, महिषी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.07